



प्रधानमंत्री अनुसूचति जाति अभ्युदय योजना

प्रलिस के लयि:

प्रधानमंत्री अनुसूचति जाति अभ्युदय योजना, केंद्र परायोजति योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, बाबू जगजीवन राम छातरावास योजना, अनुसूचति जाति

मेन्स के लयि:

अनुसूचति जनजातयि के लयि कल्याण योजनाएँ, अनुसूचति जनजातयि के लयि सुरक्षा उपाय, सरकारी पहल

स्रोत: पी.आई.बी.

चर्चा में क्योँ?

हाल ही में, सामाजकि न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने प्रधानमंत्री अनुसूचति जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY) पर प्रकाश डाला, जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY), अनुसूचति जाति उपयोजना के लयि वशिष केंद्रीय सहायता (SCA से SCSP), और बाबू जगजीवन राम छातरावास योजना (BJRCY) सहति तीन केंद्र परायोजति योजनाओं को मलिाकर एक व्यापक योजना है।

- वत्तितीय वर्ष 2021-22 में शुरु की गई इस पहल का उद्देश्य कौशल वकिस, आय-सृजन योजनाओं और वभिन्नि पहलों के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करके अनुसूचति जाति समुदायों का उत्थान करना है।

PM-AJAY की मुख्य वशिषताएँ क्या हैं?

उद्देश्य:

- कौशल वकिस, आय-सृजन योजनाओं और अन्य पहलों के माध्यम से अतरिकित रोजगार के अवसर पैदा करके अनुसूचति जाति समुदायों में गरीबी को कम करना।
- भारत के आकांक्षी ज़िलों/अनुसूचति जाति बहल बलों और अन्य जगहों पर गुणवत्तापूर्ण संस्थानों में पर्याप्त आवासीय सुवधिाएँ प्रदान करके साक्षरता बढ़ाना तथा स्कूलों एवं उच्च शकिषण संस्थानों में अनुसूचति जाति के नामांकन को प्रोत्साहति करना।

PM-AJAY के घटक:

- अनुसूचति जाति बहल ग्रामों का "आदर्शग्राम" के रूप में वकिस:
 - इस घटक को पहले प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY) के नाम से जाना जाता था।
 - इस घटक का उद्देश्य अनुसूचति जाति बहल ग्रामों का एकीकृत वकिस सुनिश्चति करना है।
 - सामाजकि-आर्थकि वकिस आवश्यकताओं के लयि पर्याप्त बुनियादी ढाँचा प्रदान करना।
 - चहिनति सामाजकि-आर्थकि संकेतकों (नगिरानी योग्य संकेतक) में लक्ष्य सुधार।
 - नगिरानी योग्य संकेतक 10 डोमेन में वतिरति कयि गए हैं। इन डोमेन में पेयजल और स्वच्छता, शकिषा, स्वास्थय तथा पोषण, सामाजकि सुरक्षा, ग्रामीण सड़कें एवं आवास, ऊर्जा व स्वच्छ ईंधन, कृषि पद्धतयि, वत्तितीय समावेशन, डिजिटलीकरण और आजीवकि एवं कौशल वकिस जैसे महत्त्वपूर्ण पहलू शामिल हैं।
 - अनुसूचति जाति और गैर-अनुसूचति जाति आबादी के बीच असमानता को समाप्त करना।
 - सभी अनुसूचति जाति के बच्चों के लयि कम-से-कम माध्यमकि स्तर तक की शकिषा पूरी करना सुनिश्चति करना।
 - मातृ एवं शशि मृत्यु दर को बढ़ाने वाले कारकों का पता लगाना।
 - वशिषकर बच्चों और महिलाओं में कुपोषण की घटनाओं को समाप्त करना।
 - उपलब्धतयि:
 - आदर्श ग्राम घटक के तहत, वर्तमान वत्ति वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 1834 गाँवों को आदर्श ग्राम घोषति कयि गया है।
 - ज़िला/राज्य-स्तरीय परयोजनाओं के लयि 'सहायता अनुदान':
 - इस घटक को पूर्व में अनुसूचति जाति उपयोजना के लयि वशिष केंद्रीय सहायता के रूप में जाना जाता था।

- इस योजना का लक्ष्य नमिनलखिति प्रकार की परयोजनाओं के लिये अनुदान के माध्यम से अनुसूचित जातिका सामाजिक-आर्थिक विकास करना है:
 - **व्यापक आजीविका परयोजनाएँ:**
 - ऐसी परयोजनाएँ जो अनुसूचित जातिका लिये **स्थायी आय उत्पन्न करने** अथवा सामाजिक उन्नतिका लिये एक **संपूर्ण पारसिथितिकी तंत्र का नरिमाण** करती हैं, उन्हें ही शुरू किया जाएगा।
 - ये परयोजनाएँ अधिमानतः नमिनलखिति में से दो या अधिक का संयोजन होनी चाहिये:
 - **कौशल विकास:**
 - **कौशल विकास और उद्यमता मंत्रालय** के मानदंडों के अनुसार कौशल पाठ्यक्रम तैयार करना। सरकार द्वारा संचालित कौशल विकास गतिविधियों के संचालन के लिये संबंधित सुविधाएँ तथा बुनियादी ढाँचा प्रदान करना। इसके अंतर्गत कौशल विकास संस्थानों को भी वित्त पोषित किया जा सकता है।
 - **लाभार्थियों/परिवारों के लिये परसिपत्तियों के नरिमाण/अधिग्रहण हेतु अनुदान:**
 - योजना के अंतर्गत एकल व्यक्तिकी परसिपत्तिका वितरण होगा। हालाँकि, **यदि परयोजना में लाभार्थियों/परिवारों के लिये आजीविका सृजन के लिये आवश्यक परसिपत्तियों के अधिग्रहण/नरिमाण का प्रावधान है** तो ऐसी परसिपत्तियों के अधिग्रहण/नरिमाण के लिये लाभार्थी द्वारा लिये गए ऋण के लिये वित्तीय सहायता, प्रति लाभार्थी/घर 50,000 रुपए अथवा परसिपत्तिका लागत का 50 प्रतिशत तक जो भी कम हो, तक होगी।
 - **बुनियादी ढाँचे का विकास:**
 - परयोजना से संबंधित बुनियादी ढाँचे तथा **छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों** का विकास किया जाएगा।
 - **वशेष प्रावधान:**
 - अनुसूचित जातिका महिलाओं के लिये कुल अनुदान का 15 प्रतिशत तक वशेष रूप से व्यवहार्य आय उत्पन्न करने वाली आर्थिक विकास योजनाएँ/कार्यक्रम के संचालन का प्रावधान।
 - बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये कुल अनुदान का 30 प्रतिशत तक उपयोग किया जाएगा।
 - जो कौशल विकास के लिये कुल नधि का कम-से-कम 10 प्रतिशत हो।
 - कौशल विकास के लिये कुल नधि का कम-से-कम 10% उपयोग किया जाएगा।
 - उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन तथा वपिणन में लगी अनुसूचित जातिका **सहकारी समितियों को बढ़ावा देना।**
 - **उपलब्धियाँ:**
 - वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अनुदान सहायता घटक के तहत 17 राज्यों के लिये परपिरेक्ष्य योजना को मंजूरी दी गई है।
 - **उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रावासों का नरिमाण:**
 - यह अनुसूचित जातिका छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने और स्कूल छोड़ने की दर को कम करने में सक्षम तथा प्रोत्साहित करता है, इसे राज्य सरकारों, केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनों एवं केंद्रीय व राज्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।
 - छात्रावासों के नरिमाण/वसितार के लिये लागत मानदंड नमिनानुसार होंगे:
 - उत्तर पूर्वी क्षेत्र: प्रति कैदी 3.50 लाख रुपए।
 - उत्तरी हिमालयी क्षेत्र: प्रति कैदी 3.25 लाख रुपए।
 - गंगा के मैदान और नचिले हिमालयी क्षेत्र: प्रति कैदी 3.00 लाख रुपए।
 - लड़कों के छात्रावासों के लिये भी 100% केंद्रीय सहायता - पहले यह राज्य के साथ लागत साझा करती थी।
 - **सफलता:**
 - वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 15 नए छात्रावासों को मंजूरी दी गई है।

सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न1. वर्ष 2001 में आर.जी.आई. ने कहा कि दिलि जो इस्लाम या ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए हैं, वे एक भी जातीय समूह नहीं हैं क्योंकि वे वभिन्न जातिसमूहों से संबंधित हैं। इसलिये उन्हें अनुच्छेद 341 के खंड (2) के अनुसार अनुसूचित जातिका (SC) की सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है, जसिमें शामिल करने हेतु एकल जातीय समूह की आवश्यकता होती है। (2014)

प्रश्न2. क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जातिका आयोग (NCSC) धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिये संवैधानिक आरक्षण के कर्यान्वयन का प्रवर्तन करा सकता है? परीक्षण कीजिये। (2018)

